रामनारायण बनाम रामस्वरूपी बाई

?

रिव्यू प्रार्थना पत्र संख्या : 18 /297

22.06.2018	पत्रवली पेश हुई । रिव्यू प्रार्थना पत्र उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई । प्रार्थी रिव्यूकर्ता के लायक अधिवक्ता अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में तीन वाद 52/2003, 53/2003 एवं 54/2003 थे । उक्त तीनों वादों में वर्णित आराजी पूरीलाल की थी जिसके सम्बन्ध में प्रार्थी के पक्ष में वसीयत आलेखित हो रही है जिसके बाबत् अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी द्वारा काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर घोषणा खातेदारी की सहायता चाही गई है । केवल मात्र राजस्व कर्मचारियों द्वारा उक्त दोनों वादों की पत्रावली नहीं भेजने मात्र से ही पारित आदेश व डिक्री में दोनों वाद पत्र में वर्णित आराजी का प्रार्थी को खातेदार घोषित नहीं किया जो एरर ऑफ द रिकॉर्ड है । अतः निवेदन है कि न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.05.2018 में वाद संख्या 53/2003 एवं 54/2003 में वर्णित आराजी का खातेदार घोषित कर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया जावे । अप्रार्थी के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रस्तुत प्रकरण में न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.05.2018 की अपील माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल में प्रस्तुत कर दी गई है जिसमें स्थगन आदेश पारित किया जा चुका है तथा उनके पत्र क्रमांक टीए/अपील/कोटा/338/18 दिनांक 28.05.2018 के द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा की पत्रावली तलब कर ली गई है । ऐसी स्थिति में रिव्यू प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने से खारिज फरमाया जावे । हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । प्रस्तुत प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 09.05.2018 के विरूद्ध माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील प्रस्तुत कर दी गई है जिसमें माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा स्थगन आदेश पारित किया जाकर न्यायालय हाजा की पत्रावली तलब कर ली गई है । ऐसी स्थिति में न्यायालय हाजा द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर किसी प्रकार का कोई निर्णय किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत नहीं होता है । उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय हाजा की पत्रावली माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में भिजवाई जावे तथा रिव्यू प्रार्थना पत्र दाखिल दफ्तर किया जावे । 22/6/18 (पंकज कुमार ओझा) राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा